**बिहार विधान परिषद के 175वें सत्र के लिए माननय सदस्य श्री राजकिशोर कुशवाहा से प्राप्त संकल्प पर <u>सरकार का उत्तर</u>**

संकल्प :– यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है िकवह ''अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाली क्षति की पूर्ण क्षतिपूर्ति करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ''।

उत्तर :– प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें बाढ़ भी शामिल है, से राज्यों में होने वाले जानमाल के नुकसान हेतु संबंधितों को अनुदान देने तथा आवश्यक सेवाओं के त्वरित पुनर्स्थापन हेतु केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश से राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया गया है । इस कोष में वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशन राशि तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशन राशि जमा की जाती है । आपदाओं के कारण हुई विभिन्न क्षतियों के संदर्भ में पीड़ितों को दिये जानेवाले अनुदान तथा आवश्यक सेवाओं के पुनर्स्थापन हेतु इसी कोष से राशि व्यय की जाती है । विभिन्न मदों में मानदर निर्धारित है, जिसके अनुसार ही राशि व्यय की जाती है ।

उपरोक्त व्यवस्था बहुत पूर्व से प्रचलित चली आ रही है। अतएव जब कभी वित्त आयोग गठित किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा उसके समक्ष प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में अपनी मांगें रखी जाती हैं । वर्तमान में 14वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, जिसके समक्ष प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा मांगें रखी जा रही हैं ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0प0स0–40 / 2013 / ..... / आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक –3145(1) दि0–22 / 25.11.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04 / वि0प0स0–40 / 2013 / 5291 / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 9/12/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर आज ही तुरंत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

09/12/13
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 2-12-13\Prati Q Ans.docx